कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक– 2534 /आर0एस0एल0ए0 / प्रा॰वि   दिनाँकः– 21-06-17

जिलाधिकारी
रामपुर।

विषयः– जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुण्डिया कलां–कमुआ–केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील बिलासपुर जिला–रामपुर के खसरा/गाटा संख्या 238 पर रिटेल आउटलेट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक–240/जे0ए0–2 दिनांक 10.03.2017 एवं मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र सं0–3918/154काम–मु0क्षे0/17 दिनांक 15.06.2017

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.06.2017 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है प्रकरण मूल में संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–

1 – साइड प्लान 1

2 – अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0, रामपुर का पत्र सं0– 2174/51काम–रा0वृत/17 दिनांक 15.06.2017 की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रामपुर

पत्राँकः– /आर0एस0एल0ए0   दिनाँकः–

प्रतिलिपि –

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0, रामपुर को उनके पत्र सं0– 2174/51काम–रा0वृत/17 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :-3918 /154काम-मु0क्षे0/17 दिनांक 15-6-2017

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर ।

2064
21/6/17
प्रा0 बि0

विषय :- जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी गुण्डिलया कलां कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज-8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के खसरा/गाटा सं0-238 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक-2174/51काम-रा0वृत/17 दिनांक 15.06.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में, अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में जनपद **रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुण्डिलय कलां-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग** के चैनेज 8.568 से **8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के खसरा/गाटा** सं0-238 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु **इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरेली** को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है।

2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

3- आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा -13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एव विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।

4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।

5- प्रस्तावित स्थल **जनपद रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुण्डिलय कलां-कमुआ-केमरी (ग्रामीण मार्ग) मार्ग के चैनेज-8.568 से 8.618 के मध्य ग्राम नरायन नगला** तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के **खसरा/गाटा सं0-238** पर स्थित है।

6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।

8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 12.00 मी0 है।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।

10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 14.30 मी0, पम्प 29.30 मी0, 37.80 मी0 एवं भवन निर्माण 49.60 मी0 की दूरी पर नक्शे मे प्रदर्शित है।

क- आवेदक को पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लाजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाला

... बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

12 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13 बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊंचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

14 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित पुलियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

15 प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहिए।

16 यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व आवेदक को **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, रामपुर** से लाईसेन्स डीड कराना आवश्यक है।

18 भू-स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

19 लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19 /99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संलग्नः- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर-I,II एवं चैक लिस्ट मूल में।
3-भू0स्वामित्व की खतौनी/सेल डीड की छायाप्रति।
4-लीज डीड एग्रीमेन्ट मूल में।
5-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-2174/
51काम-रा0वृत/17 दि0 15.06.2017 के पत्र की छाया प्रति।

(के0के0 सिंह राठौर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर उनके पत्र दिनांक 15.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

J.E.(T)

Ex. Eng.
2016